प्रेस विज्ञप्ति
13-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के मामले में 12.02.2026 को 10.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये संपत्तियां मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर भूमि के रूप में हैं।

ईडी ने यूको बैंक, इंदौर को कथित तौर पर धोखा देने और 58 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीआई और एसीबी, भोपाल द्वारा मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 (जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कंपनी ने बेईमानी से अपने समूह की कंपनियों में निवेश के माध्यम से और अपनी सहयोगी और समूह की कंपनियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करके धन का गबन और हेराफेरी की।

ईडी की जांच से पता चला कि जाली, मनगढ़ंत और हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर, बिना किसी वास्तविक लेन-देन के, बेईमानी से ऋण सुविधाएं और साख पत्र प्राप्त किए गए थे। इनसे प्राप्त धनराशि को जानबूझकर एक ही स्वामित्व और नियंत्रण वाली परस्पर जुड़ी संस्थाओं के जटिल जाल के माध्यम से, कई स्तरों में बांटकर, वापस उधारकर्ता कंपनी को भेज दिया गया था। अवैध रूप से निकाली गई धनराशि को व्यवस्थित रूप से कई स्तरों में बांटा गया और बाद में विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, इंदौर स्थित ईडी ने दिसंबर 2025 में इस मामले में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।